



संदर्भ सं. राबै.डॉर/ 52570 / एलटी नीति-9/ 2024-25
परिपत्र सं. 186 / डॉर - 35 / 2024

25 सितंबर 2024

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

**कृषि के लिए निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2024-25
(एलटीआरसीएफ़) - राज्य सहकारी (रास) बैंक**

जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत सरकार ने नाबार्ड के साथ दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ़) का निर्माण किया है, जिससे ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु पुनर्वित्त कार्यों में सुधार लाने के लिए कृषि में दीर्घावधि निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एलटीआरसीएफ़ हेतु परिचालन दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न है.

2. नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर 5.50% प्रति वर्ष होगा (त्रैमासिक अंतरालों सहित), जो कि नाबार्ड द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन के अधीन होगा. राज्य सहकारी बैंकों को कम लागत वाली निधियों को अंतिम उधारकर्ताओं को पास करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है. बैंक द्वारा पात्र प्रयोजन के लिए कृषि के तहत आस्तियों के निर्माण हेतु एलटीआरसीएफ़ के अंतर्गत रियायती निधियों का प्रयोग किया जाना होगा.

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निधि के कॉर्पस का 25% का प्रयोग पहचाने गए उन जिलों में हो जहाँ ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम हो (जिलों की सूची संलग्न).

4. यह परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org के अंतर्गत 'सूचना केंद्र' टैब में भी उपलब्ध है.

5. कृपया पावती दें.

भवदीय

Signature

Signed by: KANIYUR SUNDARARAJAN
MĀHESH
Organization Unit: CHIEF GENERAL
MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK
FOR AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT
Date: 04-Oct-2024 (05:04 PM)

(डॉ के. एस. महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोपरि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward



दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2024-25 (एलटीआरसीएफ़)

1. प्रस्तावना

कृषि में पूँजी निर्माण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु महत्वपूर्ण है। यह किसानों को मौसम, जलवायु परिवर्तन के कारणवश संभावित अनिश्चितता से बचाता है और उन्हें एक संधारणीय आय प्रवाह प्रदान करता है। इसके अलावा सहबद्ध गतिविधियों में पूँजी निर्माण किसानों को आय का बारहमासी प्रवाह प्रदान करने उनकी सुदृढ़ता बढ़ाता है।

कृषि में दीर्घावधि निवेश ऋण में वृद्धि लाने हेतु भारत सरकार ने नाबार्ड के साथ "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि" स्थापित की है, जिससे विशेष रूप से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेत्र) बैंकों के लिए कृषि गतिविधियों में निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जा सके।

योजना की मुख्य विशेषताएँ और पुनर्वित्त प्रदान करने के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

2. पात्र संस्थाएँ

सभी राज्य सहकारी बैंक, जो नाबार्ड द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, वे इस ऋण व्यवस्था के तहत पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे।

3. पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड दिनांक 31 जुलाई 2023 के हमारे परिपत्र सं. 164/ डॉर-34/ 2023 में इंगित पुनर्वित्त पर हमारे नीति दिशानिर्देशों, और समय-समय पर जारी किए जाने वाले अन्य दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मर्दों के अनुसार लागू होंगे।

तथापि जिन जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, उन जिलों में ऋण प्रवाह में सुधार लाने हेतु नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों को उन पहचाने गए जिलों की ओर एलटीआरसीएफ़ के तहत कॉर्पस निधियों में 25% आबंटित किए हैं, जिनका ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (जिलों की सूची संलग्न). नाबार्ड द्वारा इन पहचाने गए जिलों में इसके प्रयोग का अनुप्रवर्तन गहनता से किया जाएगा।

कवर की गई गतिविधियाँ.

इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र के तहत सभी पात्र निवेश गतिविधियाँ (स्वयं सहायता समूहों के अलावा चूँकि उन्हें एनआरएलएम/ ब्याज सहायता योजना के तहत कवर किया जाता है) कवर की जाती हैं।

4. पुनर्वित्त का विस्तार

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम), पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप), लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के लिए पुनर्वित्त का विस्तार सभी प्रयोजनों हेतु पात्र बैंक ऋणों का 95% होगा। अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त का विस्तार निम्नानुसार होगा:

(क) सभी बल क्षेत्रों का 95% (हमारी पुनर्वित्त नीति में यथा इंगित)

(ख) सभी अन्य विस्तृत प्रयोजनों हेतु 90%.

5. स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़)



स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा कृषि क्षेत्र के तहत सभी परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त मात्रा, बैंक ऋण या कुल वित्तीय परिव्यय की किसी ऊपरी सीमा के बिना प्रदान की जाएगी। यदि कोई बैंक मंजूरी-पूर्व प्रक्रिया के तहत पुनर्वित्त प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो वे नाबार्ड को अपनी परियोजनाएँ जमा कर सकते हैं।

6. ब्याज दर

6.1 उधारकर्ताओं को ऋण

अंतिम उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। बैंकों को कम लागत वाली निधियों को अंतिम उधारकर्ताओं को पास करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

6.2 नाबार्ड से पुनर्वित्त

नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त का ब्याज दर 5.50% प्रति वर्ष होगा (त्रैमासिक अंतरालों सहित), जो कि समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा। यह अपेक्षित है कि बैंक अंतिम उधारकर्ता को रियायती पुनर्वित्त प्राप्त करने का लाभ प्रदान करेगा।

6.3 दंडात्मक प्रभार

मूलधन की चुकौती और/ या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड को चूक की राशि पर 2% की दर से दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही 5 वर्ष और उससे अधिक के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त (सामान्य) पर ब्याज दर के अतिरिक्त लागू कर भी देना होगा, जो चूक की तिथि को उस अवधि के लिए प्रचलित होगी, जिसके लिए चूक बनी रहती है। दंडात्मक प्रभार समय-समय पर संशोधन के अधीन है।

7. चुकौती अवधि

ग्रामीण/ कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों की पहुँच को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी बैंक एलटीआरसीएफ के तहत पाँच वर्ष होने के पश्चात् एकबारगी चुकौती करेगा।

एलटीआरसीएफ जमा के अंतर्गत जमाकर्ता बैंकों के प्रति पुनर्भुगतान दायित्वों में किसी भी परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) द्वारा नाबार्ड को किए जाने वाले पुनर्भुगतान कार्यक्रम पर पड़ेगा।

8. रिकॉर्ड का रखरखाव

एलटीआरसी निधि के तहत दिए गए पुनर्वित्त का अलग से हिसाब रखना होगा और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे। बैंकों को नाबार्ड द्वारा माँगे जाने पर ऋण की औसत राशि, लगाए गए ब्याज दर, लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क आदि जैसी सभी जानकारी प्रदान करनी होगी।

9. एलटीआरसीएफ के तहत दीर्घावधि आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र (एलटीएसीसी)।

चूँकि 5 वर्षों के समापन के पश्चात् बैंक से चुकौती एकबारगी मोड में होगी, भू-स्तर पर एकबारगी चुकौती का बकाया इस रूप से सुनिश्चित किया जाना होगा कि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा एलटीआरसीएफ के तहत लाभार्थियों को संवितरित ऋणों का बकाया एलटीआरसीएफ के तहत नाबार्ड की बकाया पुनर्वित्त राशि से कम न हो। बकाया के साथ दीर्घावधि आस्तियों का समामेलन करने के लिए एलटीआरसीएफ के तहत बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एलटीएसीसी संलग्न प्रारूप के अनुसार त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक तिमाही के अनुवर्ती महीने की 10वीं तारीख तक जमा किया जाना होगा। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा



एलटीएसीसी और एलटीआरसीएफ़ गतिविधियों पर जाँच बिंदुओं पर दिनांक 31 जुलाई 2024 के हमारे परिपत्र सं. 146/ डॉर-25/ 2024 से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

10. राज्य सहकारी बैंकों हेतु हमारी मौजूदा दीर्घवधि पुनर्वित्त संबंधी परिचालन दिशानिर्देशों में पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु निर्धारित अन्य सभी मौजूदा नियम और शर्तें इस योजना के तहत लागू होंगी.

निम्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वाले जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिले का नाम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	निकोबार
2	आंध्र प्रदेश	अल्लुरी सीताराम राजू
3	अरुणाचल प्रदेश	अंजा
4	अरुणाचल प्रदेश	चुंगलांग
5	अरुणाचल प्रदेश	कामेग पूर्व
6	अरुणाचल प्रदेश	सियांग पूर्व
7	अरुणाचल प्रदेश	कामले
8	अरुणाचल प्रदेश	क्रा दादी
9	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग कुमे
10	अरुणाचल प्रदेश	लेपाराडा
11	अरुणाचल प्रदेश	लोहित
12	अरुणाचल प्रदेश	लॉन्गडिंग
13	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली
14	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सियांग
15	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी
16	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
17	अरुणाचल प्रदेश	पक्के केस्सांग
18	अरुणाचल प्रदेश	शी-योमी
19	अरुणाचल प्रदेश	सियांग
20	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
21	अरुणाचल प्रदेश	तिराप
22	अरुणाचल प्रदेश	अपर सियांग
23	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबनसिरी
24	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग
25	असम	बजाली
26	असम	बक्सा
27	असम	चराईदेव
28	असम	चिरांग
29	असम	धेमाजी
30	असम	धुबरी
31	असम	दिमा हसाओ
32	असम	गोलपारा
33	असम	हाइलाकांदी
34	असम	होजाई
35	असम	कार्बी आंगलॉंग
36	असम	करीमगंज
37	असम	कोकराझार

38	असम	मजुली
39	असम	मोरीगाँव
40	असम	नागाँव
41	असम	दक्षिण सलमारा-मंकचर
42	असम	उदलगुरी
43	असम	पश्चिम कार्बी आंगलोग
44	बिहार	अरवल
45	बिहार	बाँका
46	बिहार	भोजपुर
47	बिहार	बक्सर
48	बिहार	गोपालगंज
49	बिहार	जमुई
50	बिहार	जहानाबाद
51	बिहार	कैमूर
52	बिहार	खगड़िया
53	बिहार	लखीसराय
54	बिहार	मधेपुरा
55	बिहार	मधुबनी
56	बिहार	मुँगेर
57	बिहार	नालंदा
58	बिहार	नवादा
59	बिहार	पश्चिमी चंपारण
60	बिहार	सारन
61	बिहार	शेखपुरा
62	बिहार	शिवहर
63	बिहार	सीतामढ़ी
64	बिहार	सिवान
65	बिहार	सुपौल
66	छत्तीसगढ़	बलरामपुर
67	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
68	छत्तीसगढ़	गरियाबंद
69	छत्तीसगढ़	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
70	छत्तीसगढ़	जशपुर
71	छत्तीसगढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
72	छत्तीसगढ़	कोडागाँव
73	छत्तीसगढ़	कोरिया
74	छत्तीसगढ़	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
75	छत्तीसगढ़	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
76	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
77	छत्तीसगढ़	सक्ती
78	छत्तीसगढ़	सारंगगढ़-बिलईगढ़

79	छत्तीसगढ़	सुकमा
80	छत्तीसगढ़	सूरजपुर
81	छत्तीसगढ़	सरगुजा
82	गुजरात	डांग
83	हरियाणा	नूह
84	झारखंड	चतरा
85	झारखंड	दुमका
86	झारखंड	गढ़वा
87	झारखंड	गोड्डा
88	झारखंड	गुमला
89	झारखंड	जामताड़ा
90	झारखंड	खूंटी
91	झारखंड	लातेहार
92	झारखंड	पलामू
93	झारखंड	साहेबगंज
94	झारखंड	सिमडेगा
95	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर
96	मध्य प्रदेश	अनूपपुर
97	मध्य प्रदेश	भिंड
98	मध्य प्रदेश	डिंडोरी
99	मध्य प्रदेश	निवाड़ी
100	मध्य प्रदेश	पन्ना
101	मध्य प्रदेश	सीधी
102	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
103	मध्य प्रदेश	उमरिया
104	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली
105	मणिपुर	बिशनपुर
106	मणिपुर	चंदेल
107	मणिपुर	चुराचौदपुर
108	मणिपुर	इम्फाल पूर्व
109	मणिपुर	जिरीबाम
110	मणिपुर	काकचिंग
111	मणिपुर	कमजोंग
112	मणिपुर	कांगपोकपी
113	मणिपुर	नोनी
114	मणिपुर	फेरजावल
115	मणिपुर	सेनापति
116	मणिपुर	तामंगलॉन्ग
117	मणिपुर	तेंगनुपल
118	मणिपुर	थुबल
119	मणिपुर	उखरुल
120	मेघालय	पश्चिम गारो हिल

121	मेघालय	पूर्वी जैतिया हिल
122	मेघालय	पूर्वी पश्चिम खासी हिल
123	मेघालय	उत्तर गारो हिल
124	मेघालय	दक्षिण गारो हिल
125	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल
126	मेघालय	दक्षिण पश्चिम खासी हिल
127	मेघालय	पश्चिम गारो हिल
128	मेघालय	पश्चिम जैतिया हिल
129	मेघालय	पश्चिम खासी हिल
130	मिज़ोरम	चंफई
131	मिज़ोरम	ह्वाहथियाल
132	मिज़ोरम	कोलासिब
133	मिज़ोरम	लॉन्गातलाई
134	मिज़ोरम	लुंगले
135	मिज़ोरम	ममित
136	मिज़ोरम	साइतुयाल
137	मिज़ोरम	सरछिप
138	मिज़ोरम	सियाहा
139	नागालैंड	चुमोकेदिमा
140	नागालैंड	किफिरे
141	नागालैंड	लॉन्गलेंग
142	नागालैंड	मोकोकचुंग
143	नागालैंड	मोन
144	नागालैंड	निउलैंड
145	नागालैंड	नोकलाक
146	नागालैंड	पेरेन
147	नागालैंड	फेक
148	नागालैंड	शमाटर
149	नागालैंड	सेमिन्यू
150	नागालैंड	तुएंगसांग
151	नागालैंड	वोखा
152	नागालैंड	जून्हेबोटो
153	दिल्ली एनसीटी	उत्तर-पूर्व दिल्ली
154	ओडिशा	मलकानगिरी
155	ओडिशा	नवरंगपुर
156	राजस्थान	डीग
157	राजस्थान	गंगापुरसिटी
158	राजस्थान	जोधपुर रुरल
159	राजस्थान	सालुमबेर
160	राजस्थान	संचोड़
161	सिक्किम	ग्यालशिंग

162	सिक्किम	सोरेंग
163	तेलंगाणा	अदिलाबाद
164	त्रिपुरा	ढलई
165	त्रिपुरा	गोमती
166	त्रिपुरा	खोवई
167	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा
168	त्रिपुरा	सेपाहीजला
169	उत्तर प्रदेश	अमरोहा
170	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
171	उत्तर प्रदेश	बलिया
172	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
173	उत्तर प्रदेश	बांदा
174	उत्तर प्रदेश	बस्ती
175	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
176	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद
177	उत्तर प्रदेश	गोंडा
178	उत्तर प्रदेश	जौनपुर
179	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात
180	उत्तर प्रदेश	कौशंबी
181	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
182	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
183	उत्तर प्रदेश	मऊ
184	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
185	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
186	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
187	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
188	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
189	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
190	उत्तराखंड	बागेश्वर
191	उत्तराखंड	चमौली
192	उत्तराखंड	पिथौरागढ़
193	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग
194	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल
195	पश्चिम बंगाल	झारग्राम
196	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया